REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1810]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 3, 1937
No. 1810]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

का.आ. 2337(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंा 3 उपखंा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतदद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 259 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)			
"259	208	त्रिपुरा राज्य में कुमारघाट के निकट रारा सं-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कैलाशहर, खोवई, तेलियामुरा, अमरपुर को जोड़ते हुए सबरूम के निकट रारा-8 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।			

[फा. सं. एनएच-14012/29/2015-पीएं🛛 एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एं🛛 बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

S.O. 2337(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 259 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

	(1)	(2)	(3)
"2	259	208	The highway starting from its junction with NH-8 near Kumarghat connecting Kailashahar, Khowai, Teliamura, Amarpur and terminating at its junction with new NH-8 near Sabroom (Sabrum) in the State of Tripura.

[F. No. NH-14012/29/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

का.आ. 2338(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
329	208 ए	त्रिपुरा राज्य में कैलाशहर के निकट रारा सं-208 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और
		कुकीतल में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
330	108 बी	त्रिपुरा राज्य में अगरतला के निकट रारा सं-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और
		खोवई के निकट रारा-208 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/29/2015-पीएं🛛 एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएं🖬)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख, 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख, 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

S.O. 2338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a National Highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
329	208A	The highway starting from its junction with NH 208 near Kailashahar and terminating at Kukital in the State of Tripura.
330	108B	The highway starting from its junction with NH 8 near Agartala and terminating at its junction with NH 208 near Khowai in the State of Tripura.

[F. No. NH-14012/29/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.